

तारीख
दस्ता

29-1-21 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार
उपस्थित तहसीलदार भाण्डल परिवार हल्का परिवार
द्वारा मौका पत्रा प्राप्त हुआ एवं पैरोकार सरकार द्वारा
जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया
उभयपक्षों ने बहस करनी चाही, उभयपक्षों की बहस
शुनी गयी, तास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक
19-2-21 को पेश की।

19-2-21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी
ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेजों
के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने
की इस्तुतुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की
बहस पर मनन किया। पत्रावली आवलास की रिपोर्ट
पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवाहित
आराजियात ग्राम आवलास परिवार हल्का आवलास तहसील
भाण्डल में स्थित होकर प्रार्थी के पिता का नाम नैबू उर्फ
मानुराम के नाम पर संयुक्त सहखातेदार हक से दर्ज रेकार्ड
है। जिसकी तारीख प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073-2076
से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित
तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम नैबू उर्फ मानुराम
के बजाय नन्दराम नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी
तारीख आधार कार्ड की फौरो प्रति, पहचानपत्र की फोटो प्रति
परिवार राशन कार्ड की फौरो प्रति, बैंक डायरी की पहचान की
फौरो प्रति, पैन कार्ड की फौरो प्रति ग्राम पंचायत सखेंव
द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र आदि से होती है। उसी के
अनुसार प्रार्थी अपने पिता का नाम नैबू उर्फ मानुराम
के बजाय नन्दराम अंकित करवाना चाहता है।
ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड में मिश्रण
नहीं हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना
पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण

श्रील
इस
मील
ए

श्रील
इस
मील
ए


हम या कार्यवाही भग इतिहासका जग

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना
उचित समझती हैं अतः

::: आदेश :::

प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
ग्राम बावलास परवार हल्का बावलास तहसील
भाण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित श्वाता सेरत्या
७७ में आराजी नम्बर १६५६, १७१७, २१९९, २१८९, २८६२,
२८७७ कुल किता ०६ कुल रकबा ०६ बीघा एवं श्वाता
सेरत्या ९५ में आराजी नम्बर १११८, १११९, १५३८, २३८८,
२३८९, २३९०, २८६८, २८७८ कुल किता ०८ कुल रकबा
१८ बीघा १५ बिस्वा चामि के राजस्व रिकॉर्ड में प्राथी
के पिता का नाम जेनु उर्फ नानुराम के बजाय नन्दराम
अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी
अनुसार चामि प्राथी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड
में दर्ज की जावे। तहसीलदार भाण्डल राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज करे। पालवा हेतु निर्णय की
प्राति तहसीलदार भाण्डल को भिजवाते हुए लिखा
जावे। पञावली फैसल शुमार होकर दफ्तर
दाखिल हो।


उपलब्ध अधिकारी
भाण्डल जिला भीलवाड़ा